

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 36/2018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा।

बनाम

1. कजोड पुत्र भूरा जाति मीना निवासी धरणवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं धारा
232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

: अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित।

:—निर्णय:—

दिनांक: 27.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम धरणवास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा नं. 444 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 479 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 369 रकबा 1 बीघा राजस्व रिकॉर्ड वर्ष 2003 में गैर मुमकिन नाला किस्म सिवायचक भूमि दर्ज है। आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा के आदेश दिनांक 30.05.1989 के द्वारा खसरा नं. 769 रकबा 0.14 है., खसरा नं. 641 रकबा 0.07 है., भूमि का आवंटन अप्रार्थी कजोड पुत्र भूरा निवासी धरणवास तहसील नांगल राजावतान को किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 25 दिनांक 18.06.90 तथा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 87 दिनांक 8.1.2002 दर्ज रिकॉर्ड हुआ। वर्तमान जमाबन्दी 2060-63 में उल्लेखित भूमि परिवर्तित खसरा नं. 769 रकबा 0.14 है., खसरा नं. 641 रकबा 0.06 है., खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के द्वारा राज्य सरकार को दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष में अप्रार्थी कजोड पुत्र भूरा निवासी धरणवास तहसील नांगल राजावतान के हक में खोला गया नामान्तरकरण आदेश निरस्त कर पुनः भूमि को गैर मुमकिन सिवायचक दर्ज करने के आदेश फरमाने हेतु यह रेफरेन्स राजकीय अधिवक्ता के जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा इस न्यायालय में सुनवाई हेतु पेश किया गया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गई। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान में स्थित भूमि खसरा नं. 444 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 479 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 369 रकबा 1 बीघा राजस्व रिकॉर्ड वर्ष 2003 में गैर मुमकिन नाला किस्म सिवायचक भूमि दर्ज है। आवंटन



आतिरिक्त जिला कलक्टर
दौसा

अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा के आदेश दिनांक 30.05.1989 के द्वारा खसरा नं. 769 रकबा 0.14 है., खसरा नं. 641 रकबा 0.07 है., भूमि का आवंटन अप्रार्थी कजोड पुत्र भूरा निवासी धरणवास तहसील नांगल राजावतान को किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 25 दिनांक 18.06.90 तथा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 87 दिनांक 8.1.2002 दर्ज रिकॉर्ड हुआ। वर्तमान जमाबन्दी 2060-63 में उल्लेखित भूमि परिवर्तित खसरा नं. 769 रकबा 0.14 है., खसरा नं. 641 रकबा 0.06 है., खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.04 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर गैर मुमकिन नदी, नाला भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। अतः प्रकरण अन्तर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं आर.एल.आर एवं 232 आर.टी.ए. 1955 के तहत प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियों को निरस्त कर दिनांक 15.08.1947 की प्रविष्टियों को राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के आदेश फरमावे।

हमने राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे यह तथ्य स्पष्ट है कि खसरा नं. 444 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 479 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 369 रकबा 1 बीघा राजस्व रिकॉर्ड वर्ष 2003 में गैर मुमकिन नाला किस्म सिवायचक भूमि दर्ज है। आवंटन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा के आदेश दिनांक 30.05.1989 के द्वारा खसरा नं. 769 रकबा 0.14 है., खसरा नं. 641 रकबा 0.07 है., भूमि का आवंटन अप्रार्थी कजोड पुत्र भूरा निवासी धरणवास तहसील नांगल राजावतान को किया गया। उक्त आवंटन आदेश की पालना में उक्त अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 25 दिनांक 18.06.90 तथा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं. 87 दिनांक 8.1.2002 दर्ज रिकॉर्ड हुआ। वर्तमान जमाबन्दी 2060-63 में उल्लेखित भूमि परिवर्तित खसरा नं. 769 रकबा 0.14 है., खसरा नं. 641 रकबा 0.06 है., खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रेकार्ड रही है व वर्तमान में अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोकेश कुमार मीना)

अति० जिला कलक्टर दौसा

